राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण

क्र. सं.	जिले का नाम	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01 से 1002.01)						
		सेवा प्रकरण या श्रम प्रकरण या औद्योगिक प्रकरण	किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन	न्यायिक अधिमत या आयोग के विनिश्चय से आवृत	परिवाद की प्रति पृष्ठांकित की गयी हो	कार्यक्षेत्र के बाहर	योग	कुल प्राप्त प्रकरण
		86	87	88	89	90	91	92
1.	अजमेर	15	2	6	56	4	120	168
2	अलवर	3	2		34		70	138
3.	बारां	6	2	1	16	1	43	84
4.	बांसवाड़ा		2		13		17	29
5.	बाड़मेर	1	2		27	3	49	72
6.	भरतपुर	10		1	46	2	98	182
7.	भीलवाड़ा	4	3		62		93	121
8.	बीकानेर	9		1	29	4	62	89
9.	बूंदी	3	4	1	25		47	84
10.	चित्तौड़गढ़	4			41	4	62	113
11.	चूरू	3			17	1	28	43
12.	दौसा	9			21	1	52	104
13.	धौलपुर	5		1	31	1	59	115
14.	डूंगरपुर	3	1		2	1	11	21
15.	हनुमानगढ़	5	1	1	32	2	49	87

		86	87	88	89	90	91	92
16.	श्रीगंगानगर	4	2	3	51	4	82	138
17.	जयपुर	30	13	4	155	5	417	704
18.	जैसलमेर	5			13	5	30	47
19.	जालौर	1	1		22	1	27	55
20.	झालावाड़	3	3		43	2	71	126
21.	झुन्झुनूं	5	1		20	3	43	71
22.	जोधपुर	3	2		46	8	79	103
23.	करौली	4	1		40	3	64	131
24.	कोटा	4	4	3	32	5	86	157
25.	नागौर	9	2		41	5	82	122
26.	पाली	5	2		60	5	77	132
27.	राजसमन्द	2		1	21	2	32	54
28.	सवाईमाधोपुर	6			34	5	68	131
29.	सीकर	6	1		42	1	80	122
30.	सिरोही	4			38	5	52	83
31.	टोंक	1	2	1	27	2	66	119
32.	उदयपुर	5	3		45	5	75	123
33.	राज्य से बाहर				9	6	15	22
	TOTAL	**177**	**56**	**24**	**1191**	**96**	**2306**	**3890**

दिनांकः 03 मार्च, 2006 परिवाद सं. 00/21/1485
परिवाद सं. 00/21/1492

पूर्ण पीठ

न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन, अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री जगतसिंह, सदस्य
श्री धर्म सिंह मीणा, सदस्य

परिवाद पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। आयोग के समक्ष श्रीमती रिसाल पत्नि श्री दीप चन्द ने दिनांकः 21–12–2000 को परिवाद में शिकायत की कि उसके पति श्री दीप चन्द पुत्र गोदू राम की हत्या दिनांकः 23–7–2000 में हुई जिसका मुकदमा नं. 210/2000 थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं में दर्ज है। जिसकी जांच सी.आई.डी. या सी.बी.आई. से करवाने की कृपा करें। आयोग ने उसमें दिनांकः 22–12–2000 को प्रसंज्ञान लेकर जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं से रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये।

जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं ने अपनी अन्तरिम जांच रिपोर्ट जरिये पत्र दिनांकः 15–1–2001 आयोग को प्रेषित की। रिपोर्ट में बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं के नेतृत्व में इस मुकदमें के अनुसंधान हेतु एक दल गठित किया गया है, जिस पर शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।

इसी बीच में एक शिकायत दिनांकः 13/20–12–2000 श्री महिपाल पुत्र श्री सिरदारा राम जाट ने आयोग को प्रेषित कर लिखा कि इस मुकदमें की जांच के लिए खेतड़ी के थानाधिकारी श्री राम सिंह, उप निरीक्षक श्री जल्फीकार एवं कानि. वीरपाल व रामपत द्वारा दिनांकः 20–10–2000 से 26–10–2000 तक पूछताछ के दौरान मारपीट की गई, जिसकी जांच करवाई जावे। इस पर भी आयोग ने पत्र दिनांकः 26–12–2000 से महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार राजस्थान, जयपुर से रिपोर्ट तलब की। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा ने विस्तृत रिपोर्ट दिनांकः 24–5–2001 में बताया कि परिवाद में वर्णित तथ्य सही नहीं पाये गये व महिपाल ने हत्या किये जाने की सम्भावना उस स्वयं पर होने के कारण अपने बचाव में शिकायत की है।

आयोग द्वारा दोनों प्रकरणों में समय–समय पर प्राप्त जांच रिपोर्ट्स के आधार पर कार्यवाही की जाती रही। प्राप्त समस्त रिपोर्ट्स एवं पत्रावलियों के तथ्यों को देखते हुए दिनांकः 25–10–05 को आयोग ने आदेश दिये कि हत्या के अपराध में सही अन्वेषण कर, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध जांच एवं अभियोजन की कार्यवाही करना पुलिस का प्रथम कर्तव्य है।

अन्वेषण के दौरान कथित संदिग्ध व्यक्ति से कानूनी प्रकिया सुनिश्चित करते हुए उससे पूछताछ

करना और यदि उसका घटना में लिप्त होने का कोई कारण प्रतीत होता है तो विधिवत् गिरफ्तार करना पुलिस की कानूनी आधिकारिता में आता है। अनुसंधान करने वाले कर्मियों के खिलाफ शिकायत की वजह से इस आदेश की प्रति, महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लिखा गया कि उक्त पुलिसकर्मी आयोग के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में अपना जवाब पेश करें।

आयोग के इस आदेश दिनांकः 25–10–2005 की पालना में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, खेतड़ी श्री राम सिंह, उप निरीक्षक श्री जुल्फिकार एवं कानि0 वीरपाल व रामपत व्यक्तिशः आयोग के समक्ष उपस्थित आये और लिखित में अपना जवाब पेश किया।

सम्पूर्ण तथ्यों को देखने से यह स्थिति सामने आई कि जो मूल शिकायत श्रीमती रिसाल पत्नि दीप चन्द उर्फ दिलीप सिंह द्वारा मुकदमा नं. 210/2000 के संबंध में की है, उसका अन्वेषण पूर्ण नहीं हो पाया है। साथ ही यह भी सामने आया कि जो भी अधिकारी इस मुकदमें की जांच करता है, उसके खिलाफ कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप व शिकायत करके प्रकरण को लम्बित किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2000 से न तो अन्वेषण पूर्ण हुआ है और न ही लापता अथवा मृतक श्री दीपचन्द उर्फ दिलीप सिंह की पूर्ण तलाश हुई है, जबकि प्रकरण को 6 वर्ष हो गये हैं।

आयोग द्वारा समय–समय पर परिवादी श्री महीपाल को भी व्यक्तिशः सुनवाई का मौका दिया गया। आयोग ने इस प्रकरण की दोनों शिकायतों, जांच रिपोर्ट्स एवं पुलिसकर्मियों के स्पष्टीकरण का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् इस स्टेज पर यह नहीं कहा जा सकता कि अनुसंधान के कारण श्री महीपाल के मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस स्टेज पर उसके खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जरूरी यह है कि परिवाद संख्या 00/21/1492 श्रीमति रिसाल पत्नि दीप चन्द उर्फ दिलीप सिंह की शिकायत में उल्लेखित मु.सं. 210/2000 थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं का अन्वेषण पूर्ण किया जावे, ताकि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके व पीड़ित पक्ष को राहत मिले। ऐसी अवस्था में यह आयोग अपेक्षा करता है कि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर प्रकरण में आगे के अनुसंधान की कार्यवाही करने के लिये एक विशेष दल गठित करे। जिससे विचाराधीन प्रकरण में निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही अगर मृत्यु की संभावना हो तो उसकी मृत देह की बरामदगी की कार्यवाही की जा सके। यह भी अपेक्षा की जाती है कि महानिदेशक पुलिस अपने स्तर पर इसकी मोनिटरिंग करावें तथा हर दो महीने बाद आयोग को इसकी प्रगति से अवगत भी कराते रहें।

इस आदेश की प्रति, महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। परिवाद दिनांकः 5 जून, 2006 को पुनः आयोग की पूर्ण पीठ के समक्ष पेश हो।

दिनांकः 06 मार्च, 2006 परिवाद सं. 05/02/2500

पूर्ण पीठ

न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन, अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री जगतसिंह, सदस्य
श्री धर्म सिंह मीणा, सदस्य

परिवाद आदेश दिनांकः 6–2–06 द्वारा पूर्ण पीठ में आया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। आयोग के पास कई बार शिकायतें आती हैं, और समाचार पत्रों द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि पुलिस थानों में अनधिकृत रूप से व्यक्तियों को अन्वेषण के नाम पर बैठा कर प्रताडित किया जाता है व जब आयोग का नोटिस जाता है तो उसको दूसरे थानों में भेजने की शिकायतें भी मिली हैं।

इस प्रकरण में भी परिवादी को अभियोग संख्याः 85/05 धारा 395 में पुलिस थाना गोविन्दगढ, जिला अलवर मे गिरफ्तार करना बताया व कहा गया कि थाना गोविन्दगढ में तीन दिन तक बंद रखा गया। थाना गोविन्दगढ़ के स्वयं उपनिरीक्षक श्री बच्चू सिंह हाजिर आये, उनको सुना। इस प्रकरण में एस.डी.ओ. द्वारा कार्यवाही किये जाने के कारण कोई स्पेशिफिक निर्देश नहीं दिये जा सकते। परन्तु यह कहना उचित है कि सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह रूल ऑफ लॉ मेनटेन करे और पुलिस अधिकारी अनुसंधान के दौरान किसी को गिरफ्तार करे तो वह रूल ऑफ लॉ को मेनटेन करे व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में दिये गये निर्देशों का भी पालन करें।

इस आदेश की प्रति, जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को प्रेषित कर यथा निर्देश कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जावे। परिवादी को भी सूचित हो।